

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-07432-232230, Fax-07432-231131, E-mail- dcjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2017-18/3395
निमित्त :-

दिनांक: 29.06.18

अधिशायी अभियंता
सा0नि0वि0 खण्ड
अकलेरा।

विषय :- सम्पर्क सड़क नयागांव भानपुरा तहसील अकलेरा के लिए 0.2 हैक्टर वनभूमि चाहने हेतु प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 7854-57 दिनांक 24.10.2017

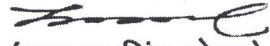
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सम्पर्क सड़क नयागांव भानपुरा तहसील अकलेरा के लिए 0.2 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव संख्या FD/RJ/ROAD/7759/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति शासन सचिव राजस्थान सरकार के पत्रांक प 1 (46) वन/2015 दिनांक 03.03.2015 से दी गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पालना रिपोर्ट एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अन्तर राशि 387639 रु जमा कराकर शेष बिन्दुओं की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पूर्व में भी पत्रांक 3093 दिनांक 25.03.2015, पत्रांक 14788 दिनांक 20.10.2016, पत्रांक 16438 दिनांक 15.12.2016 एवं पत्रांक 5861 दिनांक 23.05.2017 लिखा गया था। आप द्वारा अभी तक मांग पत्र अनुसार राशि जमा कराकर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः प्रकरण में मांग पत्र अनुसार समस्त राशि केम्पा फण्ड में जमा कराकर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे, ताकि प्रकरण की पालना रिपोर्ट उच्च कार्यालय को भिजवाई जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(रामचन्द्र सिंह ओगरा)

उप वन संरक्षक

झालावाड़

दिनांक:

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2017-18/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए राज. जयपुर।
2. सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के बिना वनक्षेत्र में कोई गैरवानिकी कार्य नहीं होने पावे।

उप वन संरक्षक

झालावाड़